न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 64 / 2022

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 नरपतराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी ग्राम नरादणा तहसील जायल, पंचायत समिति–मूण्डवा, जिला नागौर। 2 पांची देवी पत्नी मंगलाराम जाति जाट निवासी ग्राम नरादणा तहसील जायल जिला नागौर।		1 तीजादेवी पत्नी हरेन्द्र जाट पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी ग्राम नरादणा तहसील जायल, जिला नागौर। 2 शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा शाखा डीडवाना रोड, नागौर। 3 ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत डिडिया कलां, पंचायत समिति मूण्डवा।

उपस्थिति–

1 श्री सुमित मुण्डेल अधिवक्ता, प्रार्थीगण की ओर से

2 श्री हरदेव राम, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।

3 श्री ठाकुर प्रसाद राठी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय दिनांक 08.09.2025

1– प्रकरण इस प्रकार है कि प्रस्तुत निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत डिडिया कलां द्वारा बुक संख्या 42 के द्वारा पट्टा संख्या 002, जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 07.12.22 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थीगण की निगरानी दिनांक 12.12.22 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री हरदेव राम अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से श्री ठाकुर प्रसाद राठी, अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 03 दिनांक 02.02.2023 को न्यायालय में उपस्थित हुए तत्पश्चात न्यायालय में गैर हाजिर रहे है। प्रार्थीगण ने अपनी निगरानी के समर्थन में पटटा संख्या 11, 12, 002, 23 व 33 की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत डिडिया, पंचायत समिति मुण्डवा के पत्र की फोटोप्रति, नरपतराम व पांचीदेवी के आधार कार्ड की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत डिडिया कलां के पत्र–2 दिनांक 23.08.24 की फोटोप्रति तथा वकील अप्रार्थी संख्या 02 ने अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा बैंक ऑफ बडौदा में प्रस्तुत पत्र दिनांक 19.09.22 की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने पत्र दिनांक 02.02.2023 द्वारा उक्त पटटे से संबंधित मूल रिकार्ड ग्राम पंचायत डिडियाकलां मे उपलब्ध होना नही बताया।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी कि –

2(1)– ग्राम नरादणा, ग्राम पचांयत डिडिया कलां, पंचायत समिति मुण्डवा की आबादी क्षेत्र में एक रहवासी मकान पटटा सुद स्वामित्व का पटटा संख्य 12 बुक संख्या 38 का दिनांक 01.08.2017 को प्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी किया गया, जो ग्राम पंचायत डिडिया कलां के संकल्प संख्या 01 दिनांक 18.05.17 की अनुपालना में दिनांक 01.08.2017 को जारी ग्राम पंचायत द्वारा किया हुआ है। उक्त पटटा में वर्णित भूमि के पडौस निम्न है– उत्तर दिशा में मंगलाराम का मकान, दक्षिण दिशा में ओमप्रकाश का मकान, पूर्व दिशा में रतनाराम का मकान तथा पश्चिम दिशा में आम रास्ता व निकाल है। उपरोक्त पडौस के बीच की निम्न माप की भूमि का पटटा प्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी हुआ, उत्तर दिशा 81 फुट, दक्षिण दिशा 81 फुट, पूर्व दिशा में 25 फुट व पश्चिम में 25 फुट लम्बाई माप का है जिसका कुल क्षेत्रफल 225 वर्गगज है। जो पटटा उप पंजीयक जायल में रजिस्टर्ड भी है। उक्त भूमि के माप में प्रार्थी ने मकान निर्माण करवाकर रहवास भी शुरू कर रखा, जिसमें किसी अन्य का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। इस प्रकार उक्त भूमि प्रार्थी संख्या 1 के सम्पूर्ण रूप से स्वामित्व की निहित हो गयी। इसी तरह प्रार्थी संख्या 2 के पति मंगलाराम पुत्र शिम्भूराम जाति जाट निवासी नरादना के नाम पटटा संख्या 11 बुक संख्या 38 का संकल्प संख्या 01 दिनांक 18.05.17 की अनुपालना में दिनांक 01.08.17 को ग्राम पंचायत डिडियां कलां पंचायत समिति मुण्डवा पटटा जारी किया गया, जो आवासीय भूमि का पटटा रजिस्ट्रेशन उप पंजीयक कार्यालय जायल में रजिस्टर्ड किया गया, जिसके पडौस निम्न है– उत्तर दिशा में आम गुवाड, दक्षिण दिशा में नरपतराम का मकान, पूर्व दिशा में रतनाराम का मकान, पश्चिम दिशा में आम रास्ता व निकाल है। उक्त पटटे का माप 81 X 25 से कुल 225 वर्गगज क्षेत्रफल है। प्रार्थी संख्या 1 के नाम पटटा संख्या 12 व प्रार्थी संख्या 2 के पति मंगलाराम के नाम पटटा संख्या 11 दोनो चिपते ही भू भाग के हैं जिससे उक्त दोनों पटटों के भू भाग पर दो रहवासी मकान अलग अलग आबादी क्षेत्र ग्राम नरादना में स्थित होने से उक्त दोनों पटटों के भू भाग में अन्य किसी का हक अधिकार एवं आधिपत्य नहीं रहा है।

08/9/25

अपर कलक्टर, नागौर

2(2)–अप्रार्थी संख्या 1 के पति स्वर्गीय हरेन्द्र जाट ने अपने जीनवनकाल में अप्रार्थी संख्या 3 से मिलावट कर व नाजायज सांठ–गांठ कर प्रार्थी के पटटा सुद स्वामित्व के भूभाग ग्राम डिडिया कलां की आबादी भूमि में प्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी संख्या 2 के पति के नाम पटटा सुद भू–भाग का होते हुए पुनः पटटा बनाने का आवेदन पत्र हरेन्द्र पुत्र मंगलाराम ने प्रस्तुत किया तथा अप्रार्थी संख्या 1 के पति हरेन्द्र के सगे भाई प्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2 के पति के नाम पटटा संख्या 12 एवं 11 जारी होते हए भी अप्रार्थी संख्या 3 से दुरभिंसधि कर तथा हरेन्द्र के बदचलन की प्रवृति से फिजूलखर्ची के शौक से प्रार्थीगण की भूमि पर बने मकानों को खुर्द–बुर्द करने की गर्ज से विवादित पटटा संख्या 12 बुक संख्या 38 संकल्प संख्या 01 दिनांक 18.05.17 की अनुपालना में जारी पटटा दिनांक 01.08.2017 तथा पडौस में ही उत्तर दिशा में प्रार्थी के पिता के नाम पटटा जारी दिनांक 01.08.2017 का रजिस्टर्ड दिनांक 08.01.2018 को सम्मिलित भू भाग का पुनः नया पटटा अप्रार्थी संख्या 1 के पति हरेन्द्र ने अपने नाम पटटा संख्या 002 बुक संख्या 42 संकल्प संख्या 01 दिनांक 27.06.2018 की अनुपालना में पटटा दिनांक 30.08.19 को जारी करवाकर रजिस्टर्ड दिनांक 13.02.19 को करवाया गया। जिसके वर्णित पडौस ही पूर्व पटटा में दर्ज है। मगर माप का कुछ अन्तर दर्ज कर दिया गया एवं फर्जी व कूटरचित पटटा जारी कर लिया जो पटटा संख्या 002 में उत्तर में 52 फुट, दक्षिण में 52 फुट, पूर्व में 98 फुट व पश्चिम में 98 फुट से क्षेत्रफल 566.22 वर्गगज एवं 5096 वर्ग फुट दर्ज है जो पटटा पूर्णतः कूटरचित है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 के पति हरेन्द्र के नाम कूटरचित व फर्जी पटटा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत डिडियां कलां के जारी पटटा संख्या 11 के स्वामी मंगलाराम पुत्र शिम्भूराम जाट निवासी ग्राम नरादणा का देहान्त भी हो चुका है, जिनके वारिस श्रीमति पांची देवी व पुत्र प्रार्थी नरपतराम द्वारा अवैध पटटे हरेन्द्र जाट के नाम को चुनौती निम्न आधार पर दी जा रही है। जो जानकारी होने पर नकलें प्राप्त कर यह अन्दर मियाद निगरानी प्रस्तुत की।

2(3)– ग्राम पंचायत डिडिया कलां के ग्राम विकास अधिकारी द्वारा पंचायत राज संस्था के द्वारा प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 18.05.17 की अनुपालना में दिनांक 01.08.17 को पटटा संख्या 12 जारी हो रखा था, इसी तरह संकल्प संख्या 01 दिनांक 18.05.17 की अनुपालना में दिनांक 01.08.17 को पटटे जारी होते हुए भी अप्रार्थी संख्या 3 ने विधि विरूद्व रूप से फर्जी व कूट रचित दस्तावेज पुनः उसी भूमि का माप में अन्तर दर्शाकर पटटा संख्या 002 बुक संख्या 42 के भू भाग का पटटा अप्रार्थी संख्या 1 के पति हरेन्द्र के नाम जारी करने में पंचायती राज संस्था द्वारा या उसकी स्थायी समिति अथवा उप समिति ने अभिलेख में कूटरचित कर आदेशित पटटा संख्या 002 जारी करने के विधिविरूद्व पारित किया है, जो अवैध होने से काबिल निरस्त किये जाने के है, जिससे पटटा संख्या 002 खारिज किये जाने के है।

2(4)–प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 3 के कार्यालय मे उक्त पटटा संख्या 002 जो हरेन्द्र जाट पुत्र मंगलाराम के नाम होने की मिसल एवं पटटा की नकलों की मांग की तब ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत डिडिया कलां एवं सरपंच ने ग्राम पंचायत डिडियां कलां के कार्यालय में रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होना लिखकर दे दिया, जिससे भी ग्राम पंचायत डिडियां कलां के ग्राम नरादणा की आबादी भूमि में पटटा संख्या 002 कूटरचित व फर्जी है, जिससे उक्त दोनो पटटे प्रार्थी के पूर्व पंटटा संख्या 12 बुक संख्या 38 व पटटा संख्या 11 बुक नम्बर 38 की भूमि के होने से पटटा संख्या 002 काबिल खारिज किये जाने योग्य है।

2(5)– अप्रार्थी संख्या 1 के पति हरेन्द्र पुत्र मंगलाराम ने अपने जीवनकाल में पटटा संख्या 002 को अप्रार्थी संख्या 2 के रहन कर ऋण ले लिया एवं फिजूलखर्ची व असामाजिक गतिविधियों में रूपये खर्च कर प्रार्थी के पटटा सुद भू भाग को खुर्द–बुर्द करने व नीलाम कराने की योजना से फर्जी कार्यवाही की, तथा फर्जी पटटाधारी हरेन्द्र पुत्र मंगलाराम का देहान्त दिनांक 16.12.21 को हो जाने पर उक्त बैंक अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थीगण के रहवासी मकानों को कुर्क करने की कार्यवाही कर दी जो अप्रार्थी संख्या 1 के पति हरेन्द्र के नाम जारी पटटा संख्या 002 शुरू से ही फर्जी व कूटरचित होने से शून्य व निष्प्रभावी रहे, जिसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 की कार्यवाही भी विधिविरूद्व व निष्प्रभावी है। इसलिए भी अप्रार्थी संख्या 2 को प्रार्थीगण के पटटा संख्या 12 व पटटा संख्या 11 ग्राम पंचायत डिडिया कलां के ग्राम नरादणा के प्रार्थीगण के रहवासी मकानों में हस्तक्षेप करने व दखल व कुर्की आदि करने व कराने से रोका जाना न्यायसंगत है।

2(6)–पटटा संख्या 002 दिनांक 27.06.2018 की अनुपालना में दिनांक 30.08.19 को ग्राम पंचायत द्वारा जारी पटटा अवैध व विधि विरूद्व व अनियमितता का है जबकि प्रार्थीगण के नाम के जारी हो रखे पटटो की भूमि पर पुनः नये पटटे जारी करने की पंचायत राज संस्था ने अनियमितता की है। उसी भूमि व पडौस बीच के मकान के पटटा संख्या 12 प्रार्थी नरपतराम के नाम दिनांक 01.08.17 को पटटा संख्या 11 प्रार्थी के पिता मंगलाराम के नाम दिनांक 01.08.17 को जारी हो रखे थे, जिसके पुनः उसी भूमि के मकानों के पटटे अप्रार्थी संख्या 3 ने ग्राम पंचायत डिडिया कलां ने ग्राम नरादणा की आबादी भूमि के पटटा जारी करने मे भारी अनियमितता की है। अपने पूर्व के रेकर्ड का भी अवलोकन नहीं किया गया, ना ही प्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी

अपर कलक्टर, नागौर

संख्या 2 के पति मंगलाराम का कोई लिखित में सूचना नहीं दी गयी थी। बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 के पति हरेन्द्र ने अप्रार्थी संख्या 3 से मिलावट कर चुपचाप फर्जी तरीके से ग्राम पंचायत संस्था ने ग्राम पंचायत अभिलेख मे कूटरचना कर विनिश्चय कर लिया जो सर्वप्रथम अवैध व विधिविरूद्व होने से खारिज किये जाने के है। इसलिए पटटा संख्या 002 काबिल खारिज किये जाने है।

3– अप्रार्थी संख्या 02 ने बहस करते हुए बताया कि–

3(1)–प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त निगरानी पूर्णतया झूठे निरर्थक एवं बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित होने के कारण प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है।

3(2)–उक्त प्रकरण में जिस पटटा विलेख को प्रार्थीगण ने चुनौती दी है, उक्त पटटा विलेख जारी करने के संबंध में किन विधि के नियमों एवं कौनसी प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है इसके बारे में कोई आरोप नहीं है। इसलिये इस आधार पर पर उक्त निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

3(3)–उक्त प्रकरण में हरेन्द्र जाट के नाम से जो पटटा विलेख संख्या 2 जारी हुआ था। उक्त पट्टे की जायगा को हरेन्द्र जाट ने मुझ अप्रार्थी के यहां से प्रोपर्टी मोरगेज लोन रूपये 7,50,000/–लेकर भारित किया हुआ है। उक्त ऋण का गारन्टर प्रार्थी संख्या 1 नरपतराम है। चूंकि हरेन्द्र जाट का उक्त खाता समय पर ऋण अदायगी नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप एनपीए हो चुका है। दिनांक 30.09.2023 तक उक्त ऋण खाता संख्या 6/306 रूपये 10,92,156.03/– मूल राशि मय ब्याज बकाया चल रही है। जो राशि प्रार्थी संख्या 2 प्राप्त करने का अधिकारी है। चूंकि हरेन्द्र जाट का स्वर्गवास हो चुका है। उसके स्वर्गवास के पश्चात उक्त पटटे की भारित उचल सम्पति के ऋण की अदायगी नहीं करनी पडे इसके लिये प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 ऋण पेटे जो राशि बकाया चल रही है उसका भुगतान नहीं करना पडे, इन सब ने दुरभिसंधि करके उक्त निगरानी पेश की है। जो प्रथम दृष्टया निरस्त की जाने योग्य है।

3(4)–उक्त निगरानी में प्रार्थीगण पटटा संख्या 2 की अचल सम्पति को अपनी होना क्लेम कर रहे है, जो सर्वथा मिथ्या एवं कपोल कल्पित कथन है। क्योंकि प्रार्थी संख्या 1 नरपतराम जो हरेन्द्र जाट का सगा भाई तथा उक्त पटटा संख्या 2 की अचल सम्पति को जब हरेन्द्र जाट ने प्रोपर्टी मोरगेज लोन के अगेन्स्ट में भारित किया था उस समय उक्त ऋण की अदायगी की गारन्टी प्रार्थी संख्या 1 ने दी थी। ऐसी स्थिति में प्रार्थी संख्या 1 को इस बात की भली भांति जानकारी थी कि पटटा नम्बर 2 जो हरेन्द्र जाट के नाम से बना हुआ है तथा उक्त अचल सम्पति का एकमात्र स्वामी एवं अधिभोगी हरेन्द्र जाट है तथा हरेन्द्र जाट द्वारा उक्त पटटा नम्बर 2 की अचल सम्पति को अप्रार्थी संख्या 2 के यहां भारित किया जा रहा है तथा उक्त ऋण के संबंध में प्रार्थी संख्या 1 नरपतराम द्वारा बतौर गारन्टर गारन्टी दी जा रही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी संख्या 1 नरपतराम द्वारा पटटा संख्या 2 की अचल सम्पति के स्वामित्व को लेकर अब कोई अन्य कथन करने से विबंधित है।

3(5)–उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण विबंधन के सिद्वान्त के अनुसार पटटा संख्या 2 की अचल सम्पति का स्वामित्व हरेन्द्र जाट में निहित करता है को लेकर कोई विरोधाभासी कथन करने से विबंधित है।

3(6)–उक्त प्रकरण में पटटा संख्या 2 का विधिवत रूप से निष्पादित होकर पंजीयन हो चुका है। ऐसे पटटे का पंजीबद्व हो जाने के पश्चात ऐसे पटटे को धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत निगरानी करके चुनौती नहीं दी जा सकती। पंजीबद्व विलेख को निरस्त करने का न्यायालय हाजा को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार नही है।

3(7)– उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा षडयंत्र रचकर आपस में दुरभिसंधि कर रखी है ताकि पटटा संख्या 2 की भारित अचल सम्पति से ऋण की वसूली अप्रार्थी संख्या 2 नहीं कर सके। इसके लिये इस प्रकार से गलत रूप से निगरानी पेश की है। इससे साफ जाहिर है कि प्रार्थीगण स्वच्छ दामन से न्यायालय हाजा के समक्ष नहीं आये है तथा न्यायालय हाजा को हर स्टेज पर गुमराह कर रहे है।

3(8)–अप्रार्थी संख्या 2 ऋण वसूली नहीं कर सके इसके लिये प्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा को मंच बनाकर जनता का धन जो बैंकों के पास पडा है। उक्त धन को हडपने के उद्देश्य से यह निगरानी प्रस्तुत की है ताकि न्याय निष्फल हो सके। ऐसा करने की कोई न्यायालय किसी भी व्यक्ति को अनुमति नहीं देता है।

3(9)–उक्त निगरानी में जो कथन किये गये है। वह कथन किसी सम्पति के मालिकाना हक को साबित या नासाबित करने से संबंधित है। विधि अनुसार स्वामित्व की ऐसी घोषणा करने के लिये निगरानी प्रस्तुत नहीं की जा सकती तथा उक्त विषय वस्तु निगरानी की विषय वस्तु नहीं हो सकती है। निगरानी की विषय वस्तु तो केवल मात्र पंचायतराज अधिनियम में वर्णित प्रावधानों की पालना हुई है या नहीं तक ही सीमित है।

08/9/24

अपर कलक्टर, नागौर

3(10)–उक्त प्रकरण में प्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व सरफेसी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही श्रीमान जिला कलक्टर नागौर के समक्ष अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से पेश की गई थी जो प्रकरण संख्या 17/2022 अनवान बैंक ऑफ बडौदा विरूद्व तीजा देवी व अन्य के शीर्षक से पंजीबद्व होकर दिनांक 20.06.2022 को आदेशित होकर पटटा संख्या 2 की अचल सम्पति को कुडक करके कब्जे में लेकर ऋण राशि वसूल करने के आदेश पारित हो रखे है। इस प्रकार से सरफेसी एक्ट मे कार्यवाही हो जाने के परिणामस्वरूप उक्त प्रकरण में विधि अनुसार कोई निगरानी पेश नहीं की जा सकती है।

4– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत डिडिया कलां द्वारा बुक संख्या 42 के पट्टा संख्या 002, को निरस्त किये जाने को लेकर प्रस्तुत की गई। पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि पूर्व में ग्राम पंचायत डिडिया कलां द्वारा पट्टा संख्या 11 दिनांक 01.08.17 को प्रार्थी संख्या 01 के पिता मंगलाराम तथा पट्टा संख्या 12 दिनांक 01.08.17 को प्रार्थी संख्या 01 के नाम जारी किया हुआ था, तत्पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा पुनः उसी जायगा का अप्रार्थी संख्या 01 के पति हरेन्द्र के नाम पट्टा संख्या 002 जारी किया जाना प्रतीत होता है। ग्राम पंचायत को किसी भी जायगा का एक बार पट्टा जारी होने के पश्चात उसी जायगा का पुनः पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण पुनः ग्राम पंचायत डिडिया कलां, पंचायत समिति, मुण्डवा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पंचायत पंचायत द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के पति हरेन्द्र के नाम जारी बुक संख्या 42 के पट्टा संख्या 002 के संबंध मे उपरोक्त ऑब्जरवेशन को ध्यान मे रखते हुए मौके की स्थिति रिकार्ड पर लेवे तथा दोनो पक्षों को सुनवाई, सबूत आदि का अवसर देते हुए गुणावगुण पर आदेश पारित करे।

6– निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08/9/25

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर